संख्या-सी0एम0-34-चालीस-2000-15§24§/2000

अशोक घोष
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

तेवा में,

§1§ समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।

§2§ समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग लखनऊ दिनांक 05मई, 2001

विषय:- लौह पुरूष सरदार बल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस दिनांक 31अक्टूबर को "राष्ट्रीय अखण्डता दिवस" के रूप में मनाया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा शासकीय कार्यालयों एंव शासकीय संस्थाओं में प्रत्येक वर्ष दिनांक 31अक्टूबर को लौह पुरूष सरदार बल्लभ भाई पटेल का जन्मदिवस राष्ट्रीय अखण्डता दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। लौह पुरूष सरदार पटेल द्वारा राष्ट्रीय अखण्डता के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए उनके जन्म दिवस पर प्रत्येक जनपदों में निम्नवत कार्यक्रम आयोजित किए जाय:-

§1§ जिनमें रैलियों का आयोजन किया जाय। जिसमें राष्ट्रीय एवं देशभक्ति के गीतों का गायन हो ।

§2§ लौह पुरूष सरदार बल्लभ भाई पटेल के जीवन से सम्बन्धित कार्यकलापों के सम्बन्ध में विस्तृत परिचर्चा की जाय।

§3§ राष्ट्रीय अखण्डता पर बल देने से सम्बन्धित बैठकें तथा विचार गोष्ठी और सेमिनार आयोजित किए जाय।

2- उक्त दिवस को सुचारू एवं सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित किए जाने हेतु प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों के लिए रू0 5000/=§रूपया पांच हजार मात्र§ की धनराशि आय-व्ययक में प्राविधानित की गई है, जो यथासमय शासन द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।

3- अतैव अनुरोध है कि कृपया दिनांक 31अक्टूबर को लौह पुरूष सरदार बल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस उपर्युक्तानुसार मनाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।

भवदीय,
§अशोक घोष§
सचिव।

—2/=

संख्या-सी0एम0-34(1)/चालीस-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।

(2) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री जी, उ0प्र0शासन ।

(3) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

(4) निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त दिवस का वृहद् प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अरूण अग्रवाल)
विशेष सचिव।

संख्या-सी0एम0-34(2)/चालीस-2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

(2) वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन ।

आज्ञा से,

(अरूण अग्रवाल)
विशेष सचिव।